उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
78/संख्या-13/10/2004/का-1-2014
लखनऊ :: दिनांक 24 सितम्बर, 2014

शुद्धि-पत्र

दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के अंग्रेजी वर्जन में भाग-4 अर्हतायें आयु के नियम-10 की दूसरी पंक्ति में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में टंकण त्रुटिवश "forty" के स्थान पर "thirty five" अंकित हो गया है, जबकि इसे "forty" होना चाहिए था। अत: उक्त अंकित "thirty five" के स्थान पर "forty" पढ़ा जाये।

ह0/-
योगेश चन्द्र
विशेष सचिव।

78/संख्या-13/10/2004(1)/का-1-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
(योगेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in